राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या– 25/2014 अन्तर्गत निगरानी संख्या 1040/2012..... जिला–जयपुर.....

उनवान : 1 सुनील कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन, रूप विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर. –लीजकर्ता
2. मैसर्स आई.बी.पी. कं0 जरिये मुख्त्यारआम श्री राकेश जैन, सिविल लाईन्स, जयपुर –लीजग्रहिता

बनाम

1. उप–पंजीयक, कोटखावड़ा, जिला जयपुर
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पंजीयन मुदांक विभाग, अजमेर
3. कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** प्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम गोगरा एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित। प्रार्थी की ओर से यह विविध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि निगरानी संख्या 1040/2012 में पूर्व में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 14.6.2012 को निगरानी श्रवणार्थ ग्राह्य की जाकर शेष वसूली योग्य राशि की वसूली पर स्थगन स्वीकार किया गया था। कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई दिनांक 15.01.2014 को निगरानी पर बहस सुनी जाकर प्रकरण निर्णयार्थ आरक्षित किया गया था, लेकिन दिनांक 24.01.2014 को खण्डपीठ द्वारा पुनः स्थगन प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित कर दिया गया है तथा स्थगन आवेदन अस्वीकार किया गया है। अग्रिम कथन किया कि पूर्व में स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात पुनः सुनवाई नहीं हो सकती थी, जबकि स्थगन समाप्त करने के लिये प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह भी कथन किया कि खण्डपीठ के निर्णय से प्रकरण में प्रत्यर्थी उप–पंजीयक द्वारा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसलिए निवेदन किया गया कि खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2014 को वापस लिया जाकर प्रत्यर्थी को वसूली नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये जावें। प्रत्यर्थी उप–पंजीयक के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किये जाने में कोई ऐतराज नहीं जताया गया। उभयपक्ष की बहस सुनने तथा कर बोर्ड की एकलपीठ के पूर्व निर्णय दिनांक 14.6.2012 जो कि निगरानी निर्णय तक दिया गया था, के रहते पुनः स्थगन प्रार्थना–पत्र पर निर्णय किया जाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भी स्थगन हटाये जाने का आवेदन नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में खण्डपीठ द्वारा जारी निर्णय दिनांक 24.01.2014 को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या– 25/2014 अन्तर्गत निगरानी संख्या 1040/2012..... जिला–जयपुर.....

उनवान : 1. सुनील कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन, रूप विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर. –लीजकर्ता
2. मैसर्स आई.बी.पी. कं0 जरिये मुख्त्यारआम श्री राकेश जैन, सिविल लाईन्स, जयपुर –लीजग्रहिता

बनाम

1. उप–पंजीयक, कोटखावड़ा, जिला जयपुर
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पंजीयन मुदांक विभाग, अजमेर
3. कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.2014	परिणास्वरूप एकलपीठ के निर्णय दिनांक 14.6.2012 अनुसार स्थगन के रहते प्रत्यर्थी को वसूली कार्यवाही को निगरानी निर्णय तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशिका दिनांक 24.01.2014 अनुसार पत्रावली दिनांक 10/03/2014 को वास्ते बहस खण्डपीठ कैम्प–जयपुर के समक्ष पेश हो। 6.3.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 06/03/14	